न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 110 / 2017 राजस्व अपील

1. हरिमोहन पुत्र रामसहाय जाति ब्राहमण निवासी ग्राम गावडी तहसील सिकराय उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 08.09.2015 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम हरिमोहन मुकदमा नम्बर 21 / 2015 अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति : श्री विश्राम गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

:– निर्णय :– दिनांकः 10.01.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रकरण की पूर्व में एक अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा में प्रस्तुत कि गई थी जिस पर न्यायालय द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की गई थी। जिस पर नायब तहसीलदार एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2015 का निर्णय स्थगित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय स्थगित किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौके की जांच किये पुनः इसी पत्रावली पर अतिक्रमण मानते हुए वारंट जारी किया गया एवं साक्ष्य सबूत का प्रार्थी अपीलान्ट को कोई अवसर नही दिया गया एवं दिनांक 08.09.2015 को अवैध आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया। अधीनस्थ

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

न्यायालय द्वारा ग्राम गावडी तहसील सिकराय स्थित आराजी भूमि खसरा नंबर 94 रकबा 0.15 है0 राजकीय चारागाह भूमि पर संवत 2072 में अपीलान्ट का पुनः अतिक्रमण मानते हुए उक्त निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 08.09.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने चारागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट में पुनरावर्ती बाबत मौका मुआयना किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः अतिक्रमण मानते हुए व बिना मौके की वास्तविक स्थिति की जांच किये निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अपीलान्ट का चारागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है। इस बाबत पुनः शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम गावडी तहसील सिकराय स्थित आराजी भूमि खसरा नंबर 94 रकबा 0.15 है0 राजकीय चारागाह भूमि पर संवत 2072 में अपीलान्ट्स द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय दिनांक 08.09.2015 पारित किया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि पर अपीलान्ट का संवत 2072 में पुनः अतिक्रमण मानते हुए प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है किन्तु पटवारी हल्का की पुनरावर्ती रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नही है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण नही करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम गावडी तहसील सिकराय स्थित आराजी भूमि खसरा नंबर 94 रकबा 0.15 है0 राजकीय चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत शपथ पत्र नायब तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष प्रस्तुत करने एवं नायब तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.09.2015 को निरस्त किया जाता है। अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा का निर्णय दिनांक 08.09.2015 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 10 .01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा